

(Press-Note)

कार्यालय,
पुलिस महानिदेशक,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
(निविदा सूचना)

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय के ब्लाक 'ए' स्थित खलिनी व ब्लाक 'सी' स्थित निगम विहार शिमला में कैंटीन (जलपान गृह) चलाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से मोहरबंद एवं सीलबन्द लिफाफे (Envelope) निविदाएँ (Quotation) आमन्त्रित है ! निविदा प्रपत्र (Quotation form) किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक अधीक्षक कल्याण एवं पेंशन शाखा कमरा न0-206 पुलिस मुख्यालय शिमला-2 से प्राप्त किये जा सकते है और अन्य विस्तृत सूचनाओं, नियमों व शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस वेबसाइट www.hppolice.com.in से भी डाउनलोड किये जा सकते है!

2. इच्छुक व्यक्ति अपनी- अपनी निविदा, उपरोक्त विधि से सीलबंद करके कमरा न0-206, पुलिस मुख्यालय में निर्धारित सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 21.04.2023, 1 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें। सभी प्राप्त एवं वैध निविदाये इस ही दिन अर्थात् दिनांक 21.04.2023 को अपराहन 3 बजे के उपरांत पुलिस अधीक्षक, कल्याण के कार्यालय में नियमानुसार खोली जाएगी।

पुलिस अधीक्षक,
कल्याण एवं पेंशन,
पुलिस मुख्यालय, हि0 प्र0 शिमला-2

शर्तें एवं नियमः—

1. हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की दो कैन्टीनो ब्लॉक 'ए' एवं 'सी' स्थित निगम विहार के संचालन एक वर्ष की अवधि तक के लिए वितरण हेतु निधारित प्रकीर्ण के अनुसार बाहरी व्यक्तियों को ठेका दिया जाना है ! 'ए' ब्लॉक (SV&ACB) में लगभग 100 अधिकारी एवं कर्मचारी तथा 'सी' ब्लॉक (पुलिस मुख्यालय) निगम विहार में लगभग 200 अधिकारी एवं कर्मचारी स्थाई रूप से कार्यरत हैं जो आमतौर पर सभी कार्य दिवस पर दोपहर का भोजन एवं जलपान इत्यादि इन कैन्टीनों में तत्काल कीमत अदायगी के आधार पर करते हैं !
2. विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं अन्य सेवाओं (संलग्न सूची अनुसार) के लिए जो मूल्य (Quote) किये जाएंगे वह एक साल की अवधि के लिए मान्य रहेंगे तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसार सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और अतिरिक्त वर्ष के लिये दोनों पक्षों की आपसी सहमति और मुख्यालय के अनुमोदन के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
3. कैन्टीन संचालक को मु0 5000रु0 की जमानत राशि (Caution Money) बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होगा। अनुबन्ध के अनुसार लगातार सेवाएं न देने तथा किसी की शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत राशि जब्त की जा सकती है। लेकिन समझौते के अनुसार कैन्टीन का कार्य सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर कुल जमानत राशि का भुगतान 10 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
4. कैन्टीन संचालक को किसी अन्य व्यक्ति को कैन्टीन संचालक के लिये आगामी ठेका (Subletting) देने की अनुमति न होगी।
5. कैन्टीन संचालक ऐसे व्यक्तियों को कैन्टीनो के कार्य पर रखेगा जो अनुशासित व चरित्रवान हो और आयु 18 वर्ष से उपर और 65 वर्ष से कम हो।
6. कैन्टीन संचालक को अनुबन्ध के अनुसार खाना बनाने के लिये बिजली का उपयोग नहीं करना होगा।
7. कार्यालय परिसर में नशा वर्जित है।
8. पुलिस मुख्यालय कैन्टीन संचालक को किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है।
9. कैन्टीन संचालक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुकिंग स्टाफ की नियुक्ति करेगा।
10. कच्चे माल व तैयार उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता की जांच पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर की जा सकती है। यदि गुणवत्ता— मात्रा मानक से कम है तो ठेकेदार के अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है।
11. कैन्टीन के संचालक का समय सुबह 8.30 से शाम 6 बजे तक रहेगा।

12. कैन्टीन में दोपहर के भोजन व जलपान इत्यादि के समय कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छ व साफ सुथरे वस्त्र में रहना होगा।
13. कैन्टीन में साप्ताहिक भोजन का विवरण और दर- सूची प्रदर्शित की जायेगी।
14. कैन्टीन में शिकायत सुझाव पुस्तिका का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
15. कैन्टीन में सभी कार्यरत कर्मचारियों को खाना बनाते समय कमर में लपेटने वाला कपड़ा (Apron) बावर्ची टोपी (Chef Cap) का प्रयोग व बाँटते समय मुँह में मास्क को तथा खाना बाँटते समय हाथ में (Gloves) दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा।
16. यदि सरकारी सामान की टूटफूट होती है तो कैन्टीन संचालक जिम्मेवार होगा।
17. बिजली के लिये अलग उप-मीटर लगाया गया है जिसके बिल का भुगतान तथा किराये की राशि का भुगतान ठेकेदार को उचित समय पर करना होगा।
18. कैन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार मृदु भाषी होनी चाहिये।
19. यदि कैन्टीन संचालक को कैन्टीन संचालन के प्रति कोई भी समस्या हो तो शीघ्र ही पुलिस अधीक्षक, कल्याण एवं पेंशन शाखा को सूचित करे।
20. समय समय पर पुलिस मुख्यालय के अधिकारी जलपान गृह का निरीक्षण कर सकते हैं व संतोषजनक संचालन नहीं पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

पुलिस अधीक्षक,

कल्याण एवं पेंशन,
पुलिस मुख्यालय, हि0 प्र0, शिमला-2. e-mail

पृ0 संख्या कल्याण - वेट कैन्टीन 2022.23. 6097-6100 दिनांक - 31-3-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिलाधीश, कार्यालय, शिमला-171001.
2. पुलिस अधीक्षक शिमला- 171001.
3. पुलिस उप-अधीक्षक, SCRB शिमला-171002.
4. श्री नवीन कुमार प्रभारी बेट कैन्टीन पुलिस मुख्यालय शिमला-2.

कल्याण एवं पेंशन,
पुलिस मुख्यालय, हि0 प्र0, शिमला-2.

ANNEXURE-“A”

Sr. No.	Particulars of items	Rates for a class quality & quantity
1.	Tea per cup (Ordinary).	
2.	Tea per cup (Green Tea).	
3.	Coffee per cup.	
4.	Milk with sugar (250 M.L).	
5.	Burfi per kilogram, Jalabi.	
6.	Gulab Jamun per pieces (35 gms).	
7.	Pakora per kilogram.	
8.	Samosha per piece (40 gms).	
9.	Lunch (With full plate either vegetable or Dal.	
10.	Vegetable per plate (200 gms).	
11.	Rajmah Dal, Kala channa, Pili Dal per plate (250 gms).	
12.	Cooked rice per plate (300 gms).	
13.	Mutter Paneer per plate (250 gms).	
14.	Beasan Burfi per kilogram.	
15.	Bread Pakora per piece (40 gms).	
16.	Mathi per piece (30 gms).	
17.	Butter Slice per piece.	
18.	Simple Bread Slice (2 piece).	
19.	Jam Slice (2 piece).	
20.	Pinni Per Piece (30 gms).	
21.	Mutter Per kg.	
22.	Allu Channa per Plate (250 gms).	
23.	Allu Tikki Per Piece (30 kg).	
24.	Dal Semian per kg.	
25.	Prantha/Paneer, Onion, Ghobi, Allu.	
26.	Chana Bhutura.	
27.	Chowmin, Momos, Maggi, Burger.	
28.	Cream/Coconut Biscuit as per printed rate.	
29.	Cold Drink per bottle (250 ml) as per printed rate.	
30.	Namkin, Chips, Kurkure, Lays.	